[प्राधिकृत अनुवाद]

हरियाणा विधान सभा

2024 का विधेयक संख्या 15 एच०एल०ए०

हरियाणा ग्राम शामलात भूमि (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2024
हरियाणा ग्राम शामलात भूमि (विनियमन) अधिनियम, 1961 को आगे संशोधित करने के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ।

1. (1) यह अधिनियम हरियाणा ग्राम शामलात भूमि (विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2024 कहा जा सकता है।

(2) यह 16 अगस्त, 2024 से लागू हुआ समझा जाएगा।

1961 के पंजाब अधिनियम 18 की धारा 2 का संशोधन।

2. हरियाणा ग्राम शामलात भूमि (विनियमन) अधिनियम, 1961 (जिसे, इसमें, इसके बाद मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 के खण्ड (छ) के उप–खण्ड (ii–क) के बाद, निम्नलिखित उप–खण्ड रखा जाएगा, अर्थात् :–

"(ii–ख) जो शामलात देह थी तथा पंजाब ग्राम शामलात भूमि (विनियमन) नियम, 1964 के प्रारम्भ से पूर्व, हरियाणा भूमि उपयोग अधिनियम, 1949 (1949 का पूर्वी पंजाब अधिनियम 38) के अधीन कलक्टर द्वारा बीस वर्ष की अवधि के लिए पट्टे पर दी गई थी और इस संशोधन अधिनियम के प्रारम्भ की तिथि को राजस्व अभिलेख के अनुसार उक्त भूमि पर मूल पट्टेदार, अंतरिती या उसके विधिक वारिस का लगातार खेती करने का कब्जा रहा है;"।

1961 के पंजाब अधिनियम 18 की धारा 3 का संशोधन।

3. मूल अधिनियम की धारा 3 की उप–धारा (2) में,–

(i) खण्ड (i) में, "उप–खण्ड (ii–क) के अधीन" शब्दों, चिह्नों तथा कोष्ठकों के स्थान पर, "उप–खण्ड (ii–क) और (ii–ख) के अधीन" शब्द, चिह्न तथा कोष्ठक प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ii) खण्ड (ii) में,–

(क) अन्त में विद्यमान "।" चिह्न के स्थान पर, ";" चिह्न प्रतिस्थापित किया जाएगा; तथा

(ख) निम्नलिखित खण्ड जोड़ा जाएगा, अर्थात :–

"(iii) जहां कोई भूमि इस अधिनियम के अधीन पंचायत में निहित है, किन्तु ऐसी भूमि धारा 2 के खण्ड (छ) के उप–खण्ड (ii–ख) के अधीन शामलात देह से निकाली गई है, तो इस संशोधन अधिनियम

के प्रारम्भ की तिथि से, ऐसी भूमि में पंचायत के सभी अधिकार, हक तथा हित समाप्त हो जाएंगे तथा मूल पट्टेदार, अंतरिती या उसके विधिक वारिस के आवेदन पर कलक्टर द्वारा ऐसे सिद्धांतों के अनुसार तथा ऐसी रीति, जो विहित की जाए, में यथा निर्धारित ऐसी राशि का पंचायत को भुगतान करने के अध्यधीन ऐसे सभी अधिकार, हक तथा हित उक्त पट्टेदार, अंतरिती या उसके विधिक वारिस, जिसका इस संशोधन अधिनियम के प्रारम्भ की तिथि को राजस्व अभिलेख में प्रविष्टियों के अनुसार खेती करने का कब्जा रहा है, में निहित होगा।"।

1961 के पंजाब अधिनियम 18 की धारा 5क का संशोधन।

4. मूल अधिनियम की धारा 5क की उप–धारा (1) के बाद, निम्नलिखित उप–धारा रखी जाएगी, अर्थात :–

"(1क) उप–धारा (1) में दी गई किसी बात के होते हुए भी, कोई भी पंचायत, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, शामलात देह में स्थित अपनी गैर–कृषि योग्य भूमि, जिस पर गांव के किसी निवासी द्वारा 31 मार्च, 2004 को या उससे पूर्व मकान का निर्माण किया गया है, निर्मित क्षेत्र के पच्चीस प्रतिशत तक के खुले स्थान सहित जो दोनों को मिलाकर पांच सौ वर्ग गज से अधिक न हो और जो यातायात और अन्य जन उपयोगिताओं को कोई बाधा नहीं पंहुचा रहा है और तालाब या किसी अन्य जल निकाय या राजस्व रास्ता, जो ऐसे रूप में राजस्व अभिलेख में प्रविष्ट है, के लिए आरक्षित की गई भूमि भी नहीं है, उपरोक्त निवासी को ऐसी रीति, जो विहित की जाए, में निर्धारित की जाने वाली ऐसी दर, जो बाजार दर से कम न हो, पर विक्रय द्वारा अंतरित कर सकती है।"।

निरसन तथा व्यावृत्ति।

5. (1) हरियाणा ग्राम शामलात भूमि (विनियमन) संशोधन अध्यादेश, 2024 (2024 का हरियाणा अध्यादेश संख्या 5), इसके द्वारा, निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन की गई बात या की गई कार्रवाई समझी जाएगी।

उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

जबकि शामलात देह में स्थित भूमि हरियाणा भूमि उपयोग अधिनियम, 1949 के तहत खेती के उद्देश्य से पट्टे के आधार पर आवंटित की गई थी। पट्टे की अवधि समाप्त होने के बाद भी, विभिन्न न्यायालयों द्वारा बेदखली के आदेश पारित किए जाने के बावजूद ये पट्टेदार भूमि पर काबिज रहे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 24.09.1986 को एक मामले में, 'Bodhni Chaman Ex-servicemen Cooperative Tenants Farming Society Ltd. Etc. Versus State of Haryana and others' में कहा था कि सरकार भूमि का अधिग्रहण कर सकती है और याचिकाकर्ताओं को भूमि की कीमत चुकाने की शर्त पर आवंटित कर सकती है या याचिकाकर्ताओं की दयनीय स्थिति को देखते हुए उन्हें कहीं और भूमि का एक और टुकड़ा आवंटित कर सकती है। हालाँकि, उस समय सरकार द्वारा आवश्यक पुनर्वास उपाय नहीं किए जा सके। इसलिए, वर्तमान संशोधन के माध्यम से यह प्रस्तावित किया गया है कि शामलात देह में ऐसी भूमि, जो हरियाणा भूमि उपयोग अधिनियम, 1949 के तहत 20 वर्ष की अवधि के लिए पट्टे के आधार पर आवंटित की गई थी और उक्त भूमि राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार मूल पट्टेदार, हस्तांतरिती या उसके कानूनी उत्तराधिकारी के निरंतर खेती योग्य कब्जे में रही है, को तुरंत प्रभाव से शामलात देह के दायरे से बाहर करने का प्रस्ताव है। यह भी प्रस्तावित किया गया है कि मूल पट्टेदार, हस्तांतरिती या उसके कानूनी उत्तराधिकारी को संबंधित ग्राम पंचायत को एक राशि का भुगतान करना होगा, जैसा कि संबंधित कलेक्टर द्वारा अधिभोगी द्वारा किए गए आवेदन पर ऐसे सिद्धांत और तरीके से निर्धारित किया जा सकता है।

2. हालांकि पंजाब ग्राम शामलात भूमि (विनियमन) नियमावली, 1964 में 200 वर्ग गज तक की शामलात भूमि पर अनधिकृत रूप से निर्मित घर के नियमितीकरण के लिए एक प्रावधान है, लेकिन ऐसे कई उदाहरण हैं जहां व्यक्तियों ने 200 वर्ग गज से अधिक भूमि पर कब्जा कर लिया है और अपने घरों का निर्माण किया है। यदि पंचायतों को भूमि वापस लौटाने के लिए ऐसे अनधिकृत निर्माणों को ध्वस्त किया जाता है, तो इससे न केवल ऐसे व्यक्तियों को कठिनाई होगी, बल्कि इससे महंगी और समय लेने वाली मुकदमेबाजी भी हो सकती है। इसलिए, शामलात देह में ऐसी भूमि को गांव के निवासियों को, जिन्होंने 31 मार्च, 2004 को या उससे पहले अपने घरों का निर्माण किया है, अधिकतम 500 वर्ग गज तक खुली जगह सहित, बाजार दर से कम दर पर बिक्री द्वारा हस्तांतरित करने का प्रस्ताव किया गया है।

अतः यह विधेयक प्रस्तुत है।

कृष्ण लाल पंवार,
विकास एवं पंचायत मंत्री,
हरियाणा।

चण्डीगढ़ :
दिनांक 5 नवम्बर, 2024

डॉ.सतीश कुमार,
सचिव।

अवधेय : उपर्युक्त विधेयक हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 128 के परन्तुक के अधीन दिनांक 5 नवम्बर, 2024 के हरियाणा गवर्नमैंट गजट (असाधारण) में प्रकाशित किया गया था।

अनुबन्ध

हरियाणा ग्राम शामलात भूमि (विनियमन) अधिनियम, 1961 से उद्धरण

X X X X X X

(2) धारा 4 की उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी,–

(i) जहां कोई भूमि शामलात विधि के अधीन किसी पंचायत में निहित है, किन्तु ऐसी भूमि, धारा 2 के खण्ड (छ) के उप–खण्ड (ii) के अधीन निकाली गई भूमि से भिन्न है, धारा 2 के खण्ड (छ) में यथा परिभाषित शामलात देह से निकाली गई है, ऐसी भूमि में पंचायत के सभी अधिकार, हक तथा हित इस अधिनियम के प्रारंभ से समाप्त हो जाएंगे तथा ऐसे अधिकार, हक तथा हित ऐसे व्यक्ति अथवा व्यक्तियों में पुनः निहित हो जाएंगे जिनमें वे शामलात विधि के प्रारंभ से तुरन्त पूर्व निहित थे ; तथा पंचायत ऐसे व्यक्ति अथवा व्यक्तियों को ऐसी भूमि का कब्जा देगी :

परन्तु जहा पंचायत अपने प्रयोजनों में से किसी के लिए उसके (भूमि) बेचे जाने अथवा उपयोग किए जाने के कारण किसी ऐसी भूमि का कब्जा देने में असमर्थ हो जाती है, वहां ऐसी भूमि में पंचायत का अधिकार, हक तथा हित इस प्रकार समाप्त नहीं हो जाएगा किन्तु पंचायत धारा 10 में दी गई किसी बात के होते हुए भी यथा विहित ऐसे सिद्धांतों के अनुसार तथा ऐसी रीति में निर्धारित किए जाने वाले प्रतिकर का, ऐसी भूमि के हकदार व्यक्ति अथवा व्यक्तियों को, भुगतान करेगी ;

(ii) जहां इस अधिनियम के अधीन कोई भूमि पंचायत में निहित कर दी गई है, किन्तु ऐसी भूमि धारा 2 के खण्ड (छ) के उपखण्ड (ii–क) के अधीन शामलात देह से निकाल ली गई है, वहा राज्य सरकार के पुनर्वास विभाग द्वारा ऐसी भूमि के आबंटन की तिथि से, ऐसी भूमि में पंचायत के सभी अधिकार, हक तथा हित समाप्त हो जाएंगे तथा ऐसे सभी अधिकार, हक तथा हित ऐसे व्यक्ति अथवा व्यक्तियों में निहित हो जाएंगे जिनको इस प्रकार निकाली गई भूमि निम्नलिखित शर्त के अधीन रहते हुए, 1985 के जुलाई के 9वें दिन को या उससे पूर्व राज्य सरकार के पुनर्वास विभाग द्वारा आबंटित की गई–

(क) ऐसी भूमि के आबंटन के फलस्वरूप राज्य सरकार के पुनर्वास विभाग द्वारा वसूल किए गए धन की कोई राशि ; या

(ख) जहां ऐसी भूमि के आबंटन के फलस्वरूप राज्य सरकार के पुनर्वास विभाग द्वारा कोई धन वसूल नहीं किया गया था, उस जिले जिसमें भूमि स्थित थी के कलक्टर द्वारा उपधारा (3) के अधीन ऐसी भूमि के संबंध में यथानिर्धारित प्रतिकर की राशि,

उस पंचायत, जिससे ऐसी भूमि संबंधित थी, को आगे संवितरण के लिए, राज्य सरकार के पुनर्वास विभाग द्वारा विकास तथा पंचायत विभाग को भुगतान की जाएगी।

11381–H.V.S.–H.G.P.,Pkl.